01/5/024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा राजस्व ग्राम खीमेल के खसरा संख्या 1077/7 किस्म गै.मु.रास्ता की जमाबंदी पेश की जो शामिल पत्रावली हो। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का मनन व अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य है कि प्रार्थी उम्मेदचन्द वगैरा का संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1084, 1079, 1080, 1082, 1083, 1595 व 1596 में स्थित है। उक्त खसरों में आवागमन हेतु खसरा सख्या 1077/4 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता में खसरा संख्या 1077/4 में से 320 वर्गमीटर दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रार्थी प्रस्तावित रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु नहीं करते है, परंतु प्रार्थी की भूमि तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 1077/4 में से रास्ता दिये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अप्रार्थी वकील की बहस तथा खसरा संख्या 1077/7 की पेश जमाबंदी मय नक्शा से स्पष्ट है कि राजस्व गांव खीमेल के खसरा नंबर 1077/7 गै.मु.रास्ता है। उक्त प्रार्थी के खसरा संख्या 1084 से संलग्न/निकट स्थित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि गै. मु. रास्ता से लगती हुई है।

वहीं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अपनी जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने व खातेदार को अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner